सं.: 1:05:138:I:सीएस
दिनांक : 02.06.2026

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-**400 051**	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-**25,** पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-**400001**

विषय: <u>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) का नाम हटाना एवं समापन संबंधी सूचना।</u>

महोदया/महोदय,

सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत, दिनांक 01 जून 2026 से प्रभावी रूप से कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) द्वारा नाम हटाकर समाप्त कर दिया गया है।

पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल), जो पूर्व में कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, की स्थापना कर्नाटक में एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। वर्ष 2022 में, कंपनी के नाम एवं उद्देश्य खंड में संशोधन किया गया, ताकि इसे ऋणदाता-समर्थित समाधान योजनाओं (एलबीआरपीज़) में भाग लेने के योग्य बनाया जा सके। तथापि, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) की स्वीकृति के अभाव में, कंपनी के लिए भविष्य में किसी व्यावसायिक अवसर की संभावना नहीं रही। तदनुसार, पीपीएल के निदेशक मंडल ने समस्त देयताओं के निपटान एवं आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, कंपनी के नाम को कंपनियों के रजिस्टर से हटाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13 मार्च 2026 को कंपनी के समापन एवं नाम हटाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके पश्चात, कंपनी के समापन/नाम विलोपन की प्रक्रिया हेतु आवश्यक दस्तावेज कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन्हें दिनांक 01 जून 2026 को एमसीए द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

आपके सूचनार्थ एवं प्रसार हेतु।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com